न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 06/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/77

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री त्रिपोलसिंह पिता बलवीर सिंह
प्रोपराईटर चस्का चाय सेन्टर, कॉलेज रोड, बॉसवाडा
(राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 11–12–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 21.09.2024 को चस्का चाय सेन्टर, कॉलेज रोड, बॉसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान चस्का चाय सेन्टर, कॉलेज रोड, बॉसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री त्रिपोलसिंह पिता बलवीर सिंह उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग चाय बनाने एवं 1 अन्य सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एचपी गैस	14892 F	25.900	15.400	10.500
2	भारत गैस	532518 S	16.000	16.000	0.000

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.02.11 10:57:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री त्रिपोलसिंह पिता बलवीर सिंह द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल चुल्हा भट्टा जब्त किया जाकर सागर गैस सर्विस बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बुरहान/ तैयब अली सूरतवाला को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रेग्युलेटर एवं सिंगल चुल्हा भट्टी को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील पेश हुआ किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। आज दिनांक 11.12. 2024 को अप्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी को बार–बार, रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई गई किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की और से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 21.09.2024 को चस्का चाय सेन्टर, कॉलेज रोड, बॉसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान चस्का चाय सेन्टर, कॉलेज रोड, बॉसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री त्रिपोलसिंह पिता बलवीर सिंह उपस्थित मिले। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग चाय बनाने एवं 1 अन्य सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री त्रिपोलसिंह पिता बलवीर सिंह द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 16:07:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

हेतु भण्डारण किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल चुल्हा भट्टा जब्त किया जाकर सागर गैस सर्विस बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बुरहान/ तैयब अली सूरतवाला को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल चुल्हा भट्टा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 02 घरेलु गैस सिलेण्डर चस्का चाय सेन्टर, कॉलेज रोड, बॉसवाडा (राजस्थान) व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग हेतु भण्डार करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग हेतु भण्डारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल चुल्हा भट्टा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 11–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (रा.)

(डॉ.इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 10:57:40 IST
Reason: SelfAttested